I

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 29/19 दायरा दिनांक 22.08.2019

**पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)**

विमल उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद जाति किराड निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राज.

– वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र श्री गोकल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. जमनालाल पुत्र श्री गोकल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. प्रीतमचन्द पुत्र श्री गोकल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. शिवचरण पुत्र श्री गोकल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. मालतीबाई पुत्री श्री गोकल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. रम्मोबाई पत्नि स्व श्री गोकल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
7. विष्णु पुत्र नाथूलाल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
8. चितरंजन पुत्र नाथूलाल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
9. कसुमल पत्नि स्व. नाथूलाल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,53,188 राज. काश्त. अधि. 1955

**<u>अंतिम निर्णय दिनांक– 30.05.2024</u>**

उक्त उनवान प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 287/511 रकबा 0.19 बीघा ग्राम गदरेटा पटवार हल्का गदरेटा तहसील शाहावाद में से वादी को रकबा 0.12 बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन के आदेश पारित किये गये थे और तहसीलदार शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार शाहावाद ने ग्राम गदरेटा स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 287/511 का विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे वादी ने सही होना स्वीकार किया। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है–।

30.05.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

| क.सं. | काश्तकार का नाम | ख.सं. | – | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| 1– | प्रीतमचन्द शिवचरण पुत्र गोकल मालतीबाई पुत्री व रम्मोबाई पत्नि स्व. गोकल जाति किराड सा. देह हि.बरा. | 287 / 511 | – | 0.07 बीघा पश्चिमी |

| क.सं. | काश्तकार का नाम | ख.सं. | – | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| 2– | विमल पुत्र रघुवीरप्रसाद जाति किराड निवासी ढिकवानी हाल समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज | 287 / 511 | – | 0.12 बीघा पूर्वी |

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम गदरेटा तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी खसरा नंबर 287 / 511 रकबा 0.19 बीघा में से वादी हिस्सा 0.12 बीघा पूर्वी तथा प्रतिवादी हिस्सा 0.07 बीघा पश्चिमी का विभाजन स्वीकार किया जाता है, तदनुसार प्रथक प्रथक खाता कायम हों, पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

30.05.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद